न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

क्र : रीडर/2023/116 दिनांकः– 12/12/2023

हसीलदार (राजस्व)
संगरिया

विषयः– वाद–पत्र सं. 399/2022 धारा 53 आरटीए अनवान रविन्द्र सिंह आदि बनाम गुरतेज सिंह आदि आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.01.2024 में कब्जा काश्त रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन वाद–पत्र सं. 399/2022 धारा 53 आरटीए अनवान रविन्द्र सिंह आदि बनाम गुरतेज सिंह आदि आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.01.2024 में वर्णित भूमि चक 1 एल.एल.डब्ल्यू के खाता सं. 53/15 ज. सं. 2071–74 व 4 एम.एम.के. के खाता सं. 148/42 ज.सं. 2073–76 में जिन काश्तकारों का कब्जा काश्त नहीं है उन काश्तकारों के नाम कलमजन कर काबिज काश्तकारों का हक/हिस्सा कामय रखते हुए उक्त अपवादित खाते को दुरूस्त किया जाना है।

अतः उक्त खाते की कब्जा काश्त रिपोर्ट मय नजरी रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तैयार कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.01.2024 को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

1. जिन काश्तकारों का कब्जा नहीं है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज है।
2. या जिन काश्तकारों का कब्जा है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं है कि अलग से नाम मय वल्दि यत सूची सहित रिपोर्ट भिजवाये।

(प्रभजोत सिंह गिल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

15 लीलांवाली 10/01/2024

... पर कब्जा काश्त अनुसार रिपोर्ट मय नजरी नक्शा भिजवाना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार (भू अ०)
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:37:19 IST
Reason: SelfAttested

ई–मेल sdmsangaria@gmail.com

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 399/2022
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः– 53 आरटीए

1. रविन्द्र सिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया
2. विरेन्द्र सिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया

वादीगण

बनाम

1. गुरतेज सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली हाल आबाद ग्राम कोठे मसूर के महमासवाई तहसील व जिला बठिण्डा
2. जगेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली
3. महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली
4. सुखदेव सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली हाल आबाद ग्राम कोठे मसूर के महमासवाई तहसील व जिला बठिण्डा
5. गुरदीप कौर पत्नी प्रथा सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली
6. रविश पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी लीलांवाली
7. श्रीराम पुत्र तनसुख राम जाति जाट निवासी लीलांवाली
8. गुरचरणसिंह पुत्र गेजासिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली हाल आबाद ग्राम कोठे मसूर के महमासवाई तहसील व जिला बठिण्डा
9. सुखमन्द्र सिंह पुत्र प्रथा सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली हाल आबाद ग्राम कोठे मसूर के महमासवाई तहसील व जिला बठिण्डा
10. सिकन्दर सिंह पुत्र प्रथा सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली हाल आबाद ग्राम कोठे मसूर के महमासवाई तहसील व जिला बठिण्डा
11. केनरा बैंक शाखा संगरिया
12. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री नवरत्न स्वामी वकील वादी
2– श्री प्रेमचन्द भारद्वाज – वकील प्रति 6,7
3– तहसीलदार राजस्व संगरिया– राज–पैरोकार प्रति.संख्या 12

निर्णय

दिनांक :– 12.8.2024

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खाता चक नं. 4 एमएमके खाता सं. 148/42 व चक नं. 1 एलएलडब्ल्यू खाता सं. 53/15 के खातेदार काश्तकार है। जिसमें से वादीगण चक नं. 4 एमएमके खाता सं. 148/42 में [illegible] से वादी नं. 1 रविन्द्रसिंह 885/1657 हिस्सा व वादी नं. 2 [illegible] 886/1657 [illegible] चक नं. 1 एलएलडब्ल्यू खाता सं. 53/15 में कुल खाता 5705 [illegible] 2192/5705 हिस्सा वादी 2 विरेन्द्र सिंह 2192/5705 हिस्सा नहरी कृषि भूमि की खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.09.07 12:37:19 IST
Reason: SelfAttested

एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

तकार है। नकल जमाबंदी हमराह दावा प्रस्तुत है। वादीगण एव प्रतिवादीगण का [illegible] आपस में अच्छी मंदी अनुसार घरू तौर पर बंटवारा हो चुका है। मुताबिक घरू बंटवारा के [illegible]गण के हिस्सा व कब्जा काश्त में निम्न प्रकार से भूमि आई है–

[illegible]दी नं. 1 रविन्द्र सिंह के हिस्सा व कब्जा काश्त में आई भूमि–

क नं.	खाता सं.	प.नं.	मु.नं.	किला नं.
[illegible]मएमके	148/42	155/202	19	18/0.126है. 19,20/0.506है. कुल 0. 632है. बारानी
एलएलडब्ल्यू	53/15	155/212	20	4/0.126है., 5/1/0.228है. 5/2/0.025है. गै.मु. खाला 6/1/0.228है. 6/2/0.025है. गै. खाला 7/0.126है. 14/0.127है. 15/1/0.228है., 15/2/0.025है.गै.मु.खाला 16/1/0.228है. 16/2/0.025है. गै.मु.खाला 17/0.126है. 19–22/0.506है. 24/0.127है. 25/0.253है. कुल 2.403है. नहरी/बारानी [illegible] गै.मु. कृषि भूमि

[illegible]दी नं. 2 विरेन्द्र सिंह के हिस्सा व कब्जा काश्त में आई भूमि:–

क नं.	खाता सं.	प.नं.	मु.नं.	किला नं.
एमएमके	148/42	155/202	19	17/0.253है. 18/0.127है., 24/0.253है. कुल 0.633है. बारानी
एलएलडब्ल्यू	53/15	155/212	20	3/0.253है. 4/0.127है. 7/0.127है. 8,9,12,13/1.012है. 14/0.126है. 17/0.127है. 18/0.253है. 23/0.253है. 24/0.126है. कुल 2.403है. नहरी/बारानी कृ.भू.

वादीगण [illegible] [घ]रू बंटवारा के मुताबिक अपने–अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि पर काफी पैसा खर्च कर [illegible] [श्र]म कर भूमि सुधार किया है व उसे काश्त योग्य बनाया है। जिसका वादीगण खाता [illegible] [क]रवा कर रकम राज अलग कायम करवाने की मुस्तहक व दावेदार है। वादीगण ने प्रतिवादीगण [को] [क]ई दफा कहा कि मुताबिक घरू बंटवारा व मौका की कब्जा काश्त के अनुसार अपना–अपना [खाता] [अ]लग से कायम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवा लेवे किंतु प्रतिवादीगण पहले [तो] [टाल] [म]टोल करते रहे एवं अंत में पिछले सप्ताह ऐसा करने से कतई इनकार कर दिया। बस यही [विनय] [द]ावा है। वादीगण एव प्रतिवादीगण का आपस में सींव बट एवं रकम राज का सदैव ही झगड़ा बना [र]हता है। यदि कब्जा काश्त मुताबिक खाता तकसीम नहीं किया गया तो वादीगण को कभी न पूरा [ह]ोने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार [illegible] [प्र]तिवादीगण नं. 1 ता 10 को संयुक्त खातों में खातेदार काश्तकार व प्रतिवादीगण [illegible] नं. 11 को बैंक प्रतिनिधि होने के कारण व प्रतिवादी नं. 12 को लैण्ड [illegible] होने के कारण पक्षकार [ब]नाया गया है। इनसे किसी प्रकार का डायरेक्ट अनुतोष नहीं चाहा गया है। दावा [illegible] [न्]याय शुल्क पर प्रस्तुत है। जो कि काबिल समायत अदालत वाला है व अंदर मियाद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.07 12:37:19
Reason: SelfAttested

[illegible] कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

लिहाजा वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि बाद तहकीकात वाद वादीगण निम्न प्रकार से [illegible] फरमाया जावे कि वाद पत्र की चरण स 3 के मुताबिक खाता तकसीम कर रकम राज अलग कायम करने का निवेदन किया।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र [illegible] रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ता 11 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए। प्रति.स. 6, 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये लेकिन [अ]पना जवाब प्रस्तुत नही किया। वादीगण एव प्रतिवादीगण साक्ष्य पेश नही करने के कारण साक्ष्य [वा]दीगण एव प्रतिवादीगण बन्द किया गया। तथा प्रश्नगत भूमि के सबध मे तहसीलदार राजस्व [स]गरिया से कब्जा काश्त की रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपने पत्रांक प्रा. [र]कौ/भू.अ./024/2898 दिनाक 30.07.2024 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई जो शामिल पत्रावली है।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादीगण ने वादपत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन [कि]या कि वादीगण एव प्रतिवादीगण सहकाश्तकार है। प्रतिवादी सख्या 1 ता 5, 8 ता 11 बावजूद सूचना उपस्थित नही है व प्रतिवादी सख्या 6, 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये लेकिन अंपना जवाब प्रस्तुत नही किया। प्रकरण मे कोई विवाद नही है। इसलिए वादीगण का वाद पत्र मुताबिक तहसीलदार राजस्व सगरिया से प्राप्त कब्जा काश्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किये जाने का कथन [illegible]

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2073–2078 चक 1 एलएलडब्ल्यू खाता संख्या 53/15 खाता गुरतेज सिह वगैरा व चक 4 एमएमके खाता संख्या 148/42 एव तहसीलदार राजस्व सगरिया की रिपोर्ट के अवलोकन से यह साबित है कि वादीगण एव प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी मे सह–काश्तकार है। प्रश्नगत आराजी पर पक्षकारो का अर्सा दराज पूर्व से घरू बटवारे के मुताबिक काश्त करते चले आ रहे है वर्तमान मे भी [illegible] बाबत कोई विवाद सामने नही आया है। प्रतिवादी सख्या 1 ता 5, 8 ता 11 बावजूद सूचना उपस्थित नही आये एव प्रतिवादी सख्या 6, 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर भी अपना जवाब प्रस्तुत नही किया। वाद पत्र मे कोई विरोध सामने नही आया है। तहसीलदार राजस्व सगरिया से प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक खाता अलग कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अत उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वा[द] [illegible] प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री [illegible]

चक 1 एलएलडब्ल्यू के खाता सख्या 53/15 व [illegible] 148/42 मे मौके पर [illegible]

रविन्द्र सिंह पुत्र [illegible] जाति जटसिख सा तीलावाली चक 1 एलएलडब्ल्यू

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:37:19 IST
Reason: SelfAttested

म[हा]... [कलेक्]टर एव
उपखण्ड अधिकारी

	मु.न.	
5/212	20	किला नं. 4/0.1265है., 5/1/0.228है. 5/2/0.025है.6/1/0.228है.6/2/0.025 है. 7/0.1265है.14/0.1265है.15/1/0.228है.,15/2/0.025है.16/1/0.228है. 16/2/0.025है.17/0.1265 है.19,22/0.253है.प्र.24/0.1265है. 25/1/0.228है. 25/2/0.025 है.
55/213	39	4/1/0.070 है.4/2/0.020है. 5/1/0.089 है.5/2/0.25 है.
55/202	19	4 एमएमके 18/0.1265 है. 19,20/0.253है.प्र.

वरेन्द्र सिह पुत्र जंगीरसिह जाति जटसिख सा.लीलावाली चक 1 एलएलडब्ल्यू

प.न.	मु.न.	
155/212	20	किला नं. 3/0.253है. 4/0.1265है. 7/0.1265है.8,9,12,13/0.253 है.प्र.14/0.1265 है. 17/0.1265है. 18/0.253है. 23/0.253है. 24/0.1265है.
155/213	39	2/1/0.089 है. 3/1/0.063 है. 3/2/0.025 है., 4/1/0.006 है. 4/2/0.005 गै.मु. खाला है.
155/202	19	4 एमएमके 17/0.253है. 18/0.1265है., 24/0.253है.

रविशं पुत्र दानाराम, श्रीराम पुत्र तनसुख बहिब जाति जाट सा.लीलावाली चक 1 एलएलडब्ल्यू

प.न.	मु.न.	
156/211	14	किला नं. 11,20/0.253 है.कुल 0.506 है.

गुरतेज सिह, जगेन्द्र सिह, सुखदेव सिह बहिब 3/4 हि पि. करनैल सिह, चरणजीतकौर, जसवीरसिह, गुरमेल सिह पुत्र/पुत्रिया महेन्द्रसिह, हमीरकौर पत्नी महेन्द्रसिह बहिब 1/4 हि जाति जटसिख सा.लीलावाली चक 4 एमएके

प.न.	मु.न.	किला नं.
155/202	19	22/2/0.196 है.
155/203	22	2/2/0.196 है.

अतः उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में खाता अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांकः–प्रा.डिक्री/भू.अ./24/2898 दिनांक 30.07.2024 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगी। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज......X......मुब्लिक......X......बाबत......X......खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक......X......को ...

बसबब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12.8.20.. को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:37:19 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

डिक्री बमुकदमे ईब्तदाई

अ आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया सहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी.सगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा – 53 आरटीए

प्रकरण संख्या – 399 / 2022

[illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील सगरिया

[illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील सगरिया

वादीगण

बनाम

1. [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली हाल आबाद ग्राम कोठे [illegible]
2. [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली
3. [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली
4. [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली हाल आबाद ग्राम कोठे [illegible]
5. [illegible] सिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली
6. [illegible] निवासी लीलावाली
7. [illegible] निवासी लीलावाली
8. [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली हाल आबाद ग्राम कोठे मसूर [illegible]
9. [illegible] सिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली हाल आबाद ग्राम कोठे [illegible]
10. [illegible] सिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली हाल आबाद ग्राम कोठे [illegible]
11. [illegible]
12. [illegible]

प्रतिवादीगण

[illegible] उपखण्ड अधिकारी सगरिया के समक्ष [illegible] वादीगण [illegible] मुदई [illegible] पेश होकर हुक्म दिया जाता है व [illegible]

[illegible] 4 [illegible] संख्या 148 / 42 में [illegible]

[illegible]

[illegible] एवं [illegible] अधिकारी [illegible]

Signature Not [illegible]

Digitally signed by [illegible] Meena

Date: 2024.09.07 [illegible]

Reason: SelfAttes[illegible]